न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 42 / 2017 जिला सीकर

1. छाजूराम
2. राम लाल
   पुत्रान भगवाना राम
3. देवना
4. गुल्ला
5. धन्ना
6. बन्ना
   पुत्रान कालू
7. ग्यारसी पत्नी ठाकरा
8. सेडू
9. कैलाश
10. सीता राम
11. बाबू लाल
12. शिम्भू दयाल
13. अर्जुन
14. महेश
15 राकेश
   पुत्रान ठाकरा
16. प्रभाती देवी पत्नी हरदेवा
17. छाजू राम
18 धूडा राम
19 रूडमल

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पुत्रान हरदेवा, समस्त जातियान अहीर, निवासीग्रम भानीपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
2. उप तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

असल रेस्पोंडेन्ट

3. औकार
4. हनुमान
5. देवी सहाय
   पुत्रान झूंथा पौत्र भगता
6. मंगली देवी पत्नी बनवारी
7. सुरेश
8 नागेन्द्र
   पुत्रियॅा झूंथा
9 लाडा देवी
10 कमली देवी
11 सन्ती देवी

पुत्रियॉ झूंथा

12 सोनी देवी पत्नी श्योला
13 सुल्तान
14 मंगला
15 जयनारायण
16 कैलाश
17 रामकुंवार
18 माली राम
19 बाबू लाल
20 फूलचन्द
पुत्रान गोपी राम
21 सुन्दर देवी
22 कमली देवी
23 आची देवी
24 ग्यारसी देवी
पुत्रियॉ गोपी राम
25 धापली देवी पत्नी सुवा लाल
26 नाथू राम
27 लालचन्द
28 राम निवास
पुत्रान सुवा लाल
29 प्रेम देवी
30 नन्छी देवी
पुत्रियॉ सुवा लाल
समस्त जातियान अहीर ,समस्त निवासीयान भानीपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 15.2.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बंशीधर जाट
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री जे.पी.यादव

निर्णय

दिनांक – 24.7.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय कमांक: 46/2917

(भानीपुरा–रायपुर जागीर) दिनांक 15.2.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 21.8.2017 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम भानीपुरा, पटवार मण्डल रायपुर जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 390 रकबा 13.07 है0 में से रकबा 0.15 है0 , खसरा नम्बर 443 रकबा 19.44 है0 में से रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 442 रकबा 5.74 है0 में से रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 411 रकबा 4.77 है0 में से रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 436 रकबा 1.00 है0 में से 0.06 है0, खसरा नम्बर 414 रकबा 2.06 है0 में से रकबा 0.07 है0 खसरा नमबर 436 रकबा 1.00 है0 में से रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 536 रकबा 0. 28 है0 में से रकबा 0.0150 है0, खसरा नम्बर 415/682 रकबा 0.60 है 0 में से 0.0250 है0, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.64 है0 में से रकबा 0.02 है0 , खसरा नम्बर 416 रकबा 0.71 है0 में से रकबा 0.0250 है0, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.01 है0 , खसरा नम्बर 431 रकबा 0.50 है0 में से रकबा 0.02 है0, 422 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 538 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.02 है0, 429 रकबा 0.20 है0 में से रकबा 0.01 है0, 430 रकबा 4.32 है0 में से रकबा 0.02 है0 गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस के तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने दिनांक 15.2.2017 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3 (2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश पारित किये है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय की प्रति एवं संलग्न् नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 15.2.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय 5.9..2018 अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 411 में कायम किये गये रास्ते को विलोपित किया जाकर निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 411 व 413 एक ही दिशा में स्थित है जिनमें दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 442 स्थित है तथा दोनों खसरा नम्बर 411 व 413 में कोई रास्ता चालू नहीं है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी कि खसरा नम्बर 411 में कोई रास्ता नहीं है न ही कभी रास्ता चालू था । आपत्ति प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी, परन्तु तहसीलदार द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, केवल हल्का पटवारी ने खसरा नम्बर 413 में मौके पर रास्ता नहीं होकर खसरा नम्बर 442 में रास्ता होने बाबत रिपार्ट पेश की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया न ही अपीलान्ट के समक्ष कोई जॉच रिपोर्ट तैयार की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से बिना मौका देखे व मौके पर किसी प्रकार का रास्ता चालू नहीं होने के उपरान्त भी गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका यह भी कहना था कि विवादित भूमि के खातेदार झूथा पुत्र भगता, श्योला पुत्र पूरा, सुवा लाल पुत्र गोपी राम फौत हो चुके थे जिनके विरूद्ध भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो नल एण्ड वोईड है । उनका कहना था कि विवादित भूमि में गैर मुमकीन रास्ता कायम करने हेतु किस व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था , उल्लेख नहीं किया गया है तथा राजनैतिक दबाव के कारण अपीलान्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से उसकी खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 411 में से कायम किये गये रास्ते की हद तक अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम भानीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के विवादित भूमि में जो रकबा रास्ते के उपयोग में आ रहा है उसे रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की थी जिस पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने विवादित भूमि में गैर मुमकीन रास्ता कायम करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं । उनका कहना था कि प्रचलित रास्ता जनहित में आम जन के आवागमन हेतु उपयोग में रहेगा । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर दिनांक 15.2.2017 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने संबंध में विवाद है । ग्राम भानीपुरा, पटवार मण्डल रायपुर जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 390 रकबा 13.07 है0 में से रकबा 0.15 है0 , खसरा नम्बर 443 रकबा 19.44 है0 में से रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 442 रकबा 5.74 है0 में से रकबा 0.18 है0, खसरा नमबर 411 रकबा 4.77 है0 में से रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 436 रकबा 1.00 है0 में से 0.06 है0, खसरा नम्बर 414 रकबा 2.06 है0 में से रकबा 0.07 है0 खसरा नम्बर 436 रकबा 1.00 है0 में से रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 536 रकबा 0. 28 है0 में से रकबा 0.0150 है0, खसरा नम्बर 415/682 रकबा 0.60 है0 में से 0.0250 है0, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.64 है0 में से रकबा 0.02 है0 , खसरा नम्बर 416 रकबा 0.71 है0 में से रकबा 0.0250 है0, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.01 है0 , खसरा नम्बर 431 रकबा 0.50 है0 में से रकबा 0.02 है0, 422 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 538 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.02 है0, 429 रकबा 0.20 है0 में से रकबा 0.01 है0, 430 रकबा 4.32 है0 मेंसे रकबा 0.02 है0 गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस के तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने दिनांक 15.2.2017 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश पारित किये है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय की प्रति एवं संलग्न् नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम भानीपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के खसरा नम्बर 411 रकबा 4.77 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर में अपीलान्ट्स को बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने केवल तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.2017 द्वारा गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को जो कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 411 रकबा 4.77 हैक्टेयर का खातेदार होने से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं । अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति की थी कि उन्हें प्रकरण से संबंधित नकल नहीं मिली है , प्रकरण में अंकित खसरा नम्बर 411,415/682, 435, 422, 423, 413, 439, 442 वाके ग्रम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुरा जागीर तहसील श्रीमाधोपुर में पूर्व का कोई भी रास्ता कटा हुआ नहीं है एवं ना ही मौके पर रास्ता चालू हालत में है एवं पटवारी हल्का रायपुरा जागीर द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है जिसका इस रास्ते बाबत कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है । अतः प्रकरण में जवाब पेश करने के लिये समय दिया जाना न्यायहित में है । उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र दिनांक 19.12.2016 से तहसीलदार श्रीमाधोपुर से संशोधित प्रस्ताव दिनांक 22.12.2016 तक चाहे गये , लेकिन तहसीलदार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये । पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त प्रार्थना पत्र की पुश्त पर अंकित किया है कि मुताबिक आदेश प्रस्तुत प्रस्ताव का मौका निरीक्षण किया गया । जिसके अनुसार मौके पर पूर्व प्रस्ताव में शामिल खसरा नं. 413 में मौके पर रास्ता नहीं होकर खसरा नम्बर 442 में ही स्थित है । जिसका संशोधित प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान् की सेवामें प्रेषित है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट्स की आपत्ति पर तहसीलदार द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये और अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स को बिना सुने पारित किया है , जो विधि विरूद्ध है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । अतः अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि वाके ग्रम भानीपुरा के खसरा नम्बर 411रकबा 4.77 हैक्टेयर में से कायम किये गये गैर मुमकीन रास्ते के रकबा 0.06 हैक्टेयर की सीमा तक निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर एवं अपीलान्ट की आपत्ति का विधिवत निस्तारण कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर दिनांक 15.2.2017

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि वाके ग्रम भानीपुरा के खसरा नम्बर 411रकबा 4.77 हैक्टेयर में से कायम किये गये गैर मुमकीन रास्ते के रकबा 0.06 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर एवं अपीलान्ट की आपत्ति का विधिवत निस्तारण कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर